अध्याय - VIII

विपणन और प्रचार

बोर्ड की प्रमुख गतिविधियों में से एक घरेलू बाजार में कयर और कयर उत्पादों के प्रचार के लिए पर्याप्त प्रचार करना और विभिन्न प्रचार कार्यक्रमों के माध्यम से बोर्ड की योजनाओं और सेवाओं को लोकप्रिय बनाना है। प्रचार कार्यक्रम कयर विकास योजना-डीएमपी-प्रचार शीर्षक के तहत किए जाते हैं। इस गतिविधि के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान किया गया कुल व्यय 200.21 लाख रुपये था। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए गए प्रमुख प्रचार कार्यक्रम निम्नलिखित है:-

दूरदर्शन / रेडियो प्रचार

बोर्ड दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों का प्रसारण करता है। सोशल मीडिया का प्रचार भी बहुत प्रभावी ढंग से किया गया। बोर्ड प्रभावी प्रचार के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आदि में सोशल मीडिया अकाउंट का रखरखाव कर रहा है।

स्पॉट प्रचार/बिक्री अभियान

बिक्री अभियानों, त्योहारों आदि के संबंध में विशेष प्रचार कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की जाती है। शोरूम प्रबंधकों और उप कार्यालयों के प्रमुखों को कयर उत्पादों और उनके अनुप्रयोगों और बोर्ड की योजनाओं और सेवाओं के प्रचार के लिए इस अवधि के दौरान स्थानीय समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन जारी करने की अनुमति है। शहरों में शोरूम/कार्यालय परिसर और सुविधाजनक स्थानों पर बैनर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

प्रेस/आनुषंगिक विज्ञापन

विज्ञापन प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं और राजभाषाओं में, महत्वपूर्ण प्रकाशनों में जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड त्योहारों आदि के अवसर पर कार्यक्रम आधारित प्रचार कर रहा है। रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान इस कार्यक्रम को जारी रखा गया था।

प्रचार सामग्रियों /होर्डिंग /कयर समाचार का मुद्रण

प्रचार साहित्य का मुद्रण और वितरण बोर्ड का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम/योजनाओं/उत्पाद है। प्रचार ब्रोशर और पैम्फलेट अंग्रेजी, हिंदी और सभी प्रादेशिक भाषाओं में मुद्रित किए जाते हैं और जागरूकता पैदा करने के लिए आम जनता को वितरित किए जाते हैं। इसके अलावा, बोर्ड की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों/उपलब्धियों, निर्यात संबंधी आंकड़ों और उद्योग के विकास में बोर्ड के अन्य प्रमुख हस्तक्षेपों के बारे में सूचना प्रसारित करने के लिए बोर्ड कयर न्यूज का प्रकाशन भी करता है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान मुद्रण गतिविधियों को जारी रखा गया था। बोर्ड ने भारत सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान सुविधाजनक स्थानों पर होर्डिंग प्रदर्शित किए हैं।

वृत्तचित्र फिल्म / कॉर्पोरेट फिल्म / फोटो शूट का निर्माण

विभिन्न कयर उत्पादों और उनके अनुप्रयोगों को लोकप्रिय बनाने और उद्योग में विकास के लिए प्रदर्शनी/संगोष्ठी/प्रशिक्षण के लिए विभिन्न उत्पादों और

बिक्री अभियानों, त्योहारों आदि के संबंध में विशेष प्रचार कार्यक्रमों की भी व्यवस्था की जाती है। शोरूम प्रबंधकों और उप कार्यालयों के प्रमुखों को कयर उत्पादों और उनके अनुप्रयोगों और बोर्ड की योजनाओं और सेवाओं के प्रचार के लिए इस अवधि के दौरान स्थानीय समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों में विज्ञापन जारी करने की अनुमति है। शहरों में शोरूम/कार्यालय परिसर और सुविधाजनक स्थानों पर बैनर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचार

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कयर उद्योग के विकास पर और अधिक बल देने और उद्योग में अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए बोर्ड प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रचार गतिविधियों का सहारा लेता है और सुविधाजनक स्थानों पर होर्डिंग/बोर्ड भी लगाता है। यह कार्यक्रम समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी रखा गया था।

अन्य संगठनों के साथ सदस्यता / पत्रिकाओं की सदस्यता

बोर्ड को अपनी गतिविधियों के भाग के रूप में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, केरल राज्य उत्पादकता परिषद, केरल प्रबंधन संघ, अखिल भारतीय शिपर्स परिषद, अंतर्राष्ट्रीय क्षरण नियंत्रण संघ, यूएसए आदि जैसे अन्य संगठनों के साथ सदस्यता लेनी होती है, क्योंकि इन संगठनों द्वारा आयोजित बैठकें पारस्परिक लाभ के लिए सूचना के प्रसार के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती हैं। बोर्ड के अधिकारियों को संबंधित संगठनों द्वारा नियमित रूप से उनकी बैठकों/संगोष्ठियों और प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान जारी रहा।

अध्याय - IX

हिंदुस्तान कयर

भूमिका

हिंदुस्तान कयर, कयर बोर्ड के तहत कार्यरत एक पावरलूम कयर मैटिंग विनिर्माण इकाई है, जिसे वर्ष 1969 में कयर उद्योग में आधुनिकीकरण/मशीनीकरण के एक भाग के रूप में 58 श्रमिकों के साथ 5 आयातित पावर लूम की दुविधा से स्थापित किया गया था। बाद में, यूनिट में उपलब्ध मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके गुणवत्ता वाले पावर लूम मैटिंग के उत्पादन के लिए दो शिफ्ट प्रणाली के साथ एक और करघा स्थापित करके कार्य किया गया, विशेष रूप से करघे जो इसके शुरू होने के दौरान आयात किए गए थे। वर्ष 2009 से कारखाने में 26 कर्मचारियों के साथ एकल पाली प्रणाली शुरू की गई थी और उसके बाद कर्मचारियों की संख्या को धीरे-धीरे कम किया गया है।

कयर बोर्ड में दिनांक 27.10.2015 को आयोजित बैठक में सचिव द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, हिंदुस्तान कयर मैटिंग का उत्पादन दिनांक 31.03.2016 से बंद हो गया था और इसे बाद में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। उत्पादन बंद होने के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान कयर में करघे/उपकरण ठप हो गए और मौजूदा यांत्रिक कर्मचारियों को बोर्ड के अन्य कार्यालयों में स्थानांतरित किए जाने के कारण इसका आवधिक रखरखाव खो गया। बोर्ड ने अपनी 233 वीं बैठक में उपर्युक्त मामले पर विचार किया और "हिन्दुस्तान कयर कारखाने और कयर बोर्ड कॉम्प्लेक्स में डाई हाउस में स्थापित मशीनरी का रख-रखाव और मरम्मत" करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। कलवूर, आलप्पुझा ने सेवा शुल्क के आधार पर हिंदुस्तान कयर और डाई हाउस की सेवाओं का विस्तार करने के लिए 40 लाख रुपये (हिंदुस्तान कयर एंड डाई हाउस के लिए प्रत्येक के लिए 20 लाख रुपये) की राशि मंजूर की। तदनुसार, हिंदुस्तान कयर के करघों/उपकरणों का रख-रखाव सीसीआरआई के माध्यम से किया गया था। वर्तमान में यह इकाई 4 कर्मचारियों के साथ कार्य कर रही है, जिसमें 2 कारखाने के कर्मचारी, 1 हेड जॉबमैन और 1 शोरूम कर्मचारी शामिल हैं। हिंदुस्तान कयर के कार्यालय का प्रभार सीसीआरआई के अनुभाग अधिकारी को दिया गया है।

वर्ष 2014 के दौरान, हिंदुस्तान कयर ने कलवूर में इंटरनेशनल कयर म्यूजियम ऑफ कयर बोर्ड के बगल में स्मारिका की एक दुकान स्थापित की है और संग्रहालय के आगंतुकों को इस दुकान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कयर और अन्य हस्तशिल्प आइटम बेचे जा रहे हैं।

उत्पादन

वर्ष 2022-2023 के दौरान कारखाने में कोई उत्पादन नहीं हो सका। तथापि, वर्तमान में कलवूर में बोर्ड के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षुओं को पावरलूम में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक इनक्यूबेशन केन्द्र के रूप में बुनाई इकाई कार्य कर रही है।

विपणन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान शोरूम्स के माध्यम से हिंदुस्तान कयर मैटिंग की कुल बिक्री 6,329.07 रुपये में की गई और यह पिछले वर्ष 24,944.00 रुपये थी। इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान डीएमपी मद के तहत 7,275.78 रुपये के कयर उत्पाद बेचे गए। हिन्दुस्तान कयर ने 2022-2023 की अवधि के दौरान स्मारिका शॉप के माध्यम से कुल 18.61 लाख रुपये की बिक्री की, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 3.53 लाख रुपये थी। हिन्दुस्तान कयर विभिन्न कयर/हस्तशिल्प निर्माताओं से कयर उत्पाद और कयर/लकड़ी के हस्तशिल्प की वस्तुएं खरीद रहा है और साथ ही कलवूर में बोर्ड के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान में विनिर्मित उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय कयर संग्रहालय, कलवूर की स्मारिका दुकान के माध्यम से बेचा जा रहा है।

अध्याय - X

औद्योगिक विकास

कयर उद्योग एक श्रमप्रधान और निर्यात उन्मुख उद्योग है जिसमें सात लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत हैं जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं शामिल हैं। मूल्यवर्धित उत्पाद निर्माण में लगे कातनेवालों, बुनकरों और कारीगरों के पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना कयर उद्योग में विकेंद्रीकृत संचालन विशेष रूप से अंतिम उत्पादों की गुणवत्ता के वांछित स्तर को सुनिश्चित करने के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। इसलिए, कयर उद्योग के समग्र विकास और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में उद्योग के प्रसार में तेजी लाने के लिए कौशल विकास सबसे महत्वपूर्ण- आवश्यकता है। उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कयर उद्योग में कुशल जनशक्ति का विकास कयर बोर्ड की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। यह अनुमान लगाया गया है कि कयर उद्योग में, विशेष रूप से प्री-प्रोडक्ट क्षेत्रों में कार्यरत 80% श्रमिक महिलाएं हैं। कुशल कारीगरों के हाथों में, इस कच्चे और खुरदुरे कयर को जादुई बनावट में बदल दिया जाता है और कई कयर उत्पादों का आकार दिया जाता है। सभी विकासात्मक गतिविधियाँ और कार्य योजना का कार्यान्वयन देशभर में कयर बोर्ड के फील्ड स्तर के प्रतिष्ठानों के माध्यम से किया जाता है। कौशल विकास योजना के तहत विभिन्न गतिविधियाँ,अर्थात मूल्यवर्धित उत्पादों (वीएपी) के विनिर्माण में प्रशिक्षण।

महिला कयर योजना (एमसीवाई) के तहत कयर सूत की कताई का प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान कयरबोर्ड द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों/उपक्षेत्रीय कार्यालयों, अन्य कार्यान्वयन कार्यालयों/फील्ड प्रशिक्षण केंद्रों आदि के माध्यम से कार्यशाला, एक्सपोजर टूर और राष्ट्रीय/राज्य/क्षेत्र स्तरीय सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 केलिए योजना के तहत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां परिशिष्ट -VII में संलग्न हैं।

क. कुशलता उन्नयन कार्यक्रम और महिला कयर योजना

कौशल उन्नयन

उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कयर उद्योग में कुशल जनशक्ति का विकास कयर बोर्ड की प्रमुख गतिविधियों में से एक है। बोर्ड उपरोक्त राज्यों में अपने प्रशिक्षण केंद्रों के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मूल्यवर्धित कयर उत्पादों के निर्माण, महिला कयर योजना के तहत कयर यार्न की कताई, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला पर प्रशिक्षण/ प्रचार कार्यक्रम प्रदान करता है। ग्रामीण लोगों को कयर इकाइयों के कामकाज के बारे में जागरूक करने के लिए एक्सपोजर टूर और सेमिनार और इस प्रकार लोगों को पीएमईजीपी योजना के तहत सहायता प्राप्त करके अपनी स्वयं की कयर इकाइयां या कयर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित करना।

बोर्ड के दो नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम अर्थात कयर टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स और कयर टेक्नोलॉजी में कयर कारीगर का सर्टिफिकेट कोर्स एनएसक्यूएफ से जुड़े हैं और बोर्ड के प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान, बोर्ड ने 2665 कयर कारीगरों को कयर यार्न की कताई और मूल्य वर्धित उत्पाद निर्माण में प्रशिक्षण दिया है और विभिन्न राज्यों में 66 प्रचार कार्यक्रम आयोजित किए है। आयोजित प्रशिक्षण का राज्यवार

विवरण इस प्रकार है :

क्रम. संख्या	राज्य	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	
		मूलय वर्धित उत्पादन	महिला कयर योजना
1	तमिलनाडू	200	200
2	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह (यू.टी.)	80	80
3	कर्नाटक	80	80
4	गुजरात	60	60
5	महाराष्ट्र	200	179
6	गोवा	20	20
7	आंध्र प्रदेश	79	79
8	हैदराबाद	20	20
9	ओडिशा	180	173
10	केरल	205	170
11	लक्षद्वीप (यू.टी.)	0	0
12	उ. पू. क्षे.	140	140
13	पश्चिम बंगाल	100	100
	कुल	**1364**	**1301**

मंत्रालय के मार्गनिर्देश के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को प्रति महीने रु. 3000/- प्रति व्यक्ति की दर पर छात्रवृति दी गई है। कच्चे माल, बिजली शुल्क और अन्य आकस्मिक खर्चों सहित प्रशिक्षण की परिचालन लागत को पूरा करने के लिए प्रायोजक एजेंसी को संस्थागत व्यय/परिचालन व्यय के रूप में प्रति प्रशिक्षुको प्रति माह रु. 400/- की दर से राशि का भुगतान किया गया था। कक्षाओं के संचालन के लिए नियुक्त प्रशिक्षकों को 15,000/- रुपये प्रति माह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाता है।

महिला कयर योजना

इस योजना के तहत, केवल महिलाओं को प्रशिक्षणदिया जाता है। देश के कयर उत्पादित क्षेत्रों में ग्रामीण महिला कामगारों को स्वरोजगार प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। पिछले दो दशकों में भारत में कयर रेशे का उत्पादन काफी बढ़ गया है । ग्रामीण घरों में यंत्रीकृत राटों पर कयर रेशे को यार्न के रूप में कातने का कार्य बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर सृजित करता है, कयर रेशे की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाता है, बेहतर काम परिस्थितियाँ और उच्चतर आय प्रदान करता है, जिससे ग्रामीण महिला कारीगरों को नई कयर इकाइयों की स्थापना के लिए मशीनों/उपकरणों की खरीद हेतु पीएमईजीपी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 50.00 लाख रुपएऔर व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 20.00 लाख रुपए तक की अधिकतम लागत वाली कयर परियोजना योग्य है ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 1301 महिलाओं को एम सी वाई कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से कयर कताई में कौशल प्रशिक्षण दिया गया।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई डी पी)

कयर क्षेत्र के उद्यमियों के हित के लिए सीधा या क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उद्यमिता विकास

कार्यक्रम या प्रोफशनल एजेंसियों, जो कयर गतिविधियों के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, को शामिल करके किया जाता है। उनको शामिल कराते समय बोर्ड उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने के सबंध में एजेंसी के साथ समझौता करता है। एजेंसी क्षेत्रीय स्तर के प्रेस विज्ञापनों के माध्यम से संभावित उद्यमियों को आमंत्रित करेगी। एजेंसी कयर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार तकनीकी सत्रों के संचालन के लिए संकाय सदस्यों को आउटसोर्स करेगी।यात्रा व्यय पर 50% सहायता के साथ वित्तपोषित उद्यामिता विकास कार्यक्रम के अंत में आसपास के कयर प्रसंस्करण केंद्र का फील्ड दौरा भी आयोजित किया जाएगा।

ई डी पी की अवधि निम्नलिखित सत्रों के संचालन के साथ तीन दिवस होगी:

1. उद्यमी प्रेरणा
2. उद्योग की स्थापना
3. कयर आधारित उद्योग
4. वित्त पोषण और वित्त प्रबंधन जुटाना
5. घरेलू बाज़ार आवश्यकता
6. बिक्री कुशलता
7. औद्योगिक नियम और विनियम
8. कयर में कन्सोर्शियम दृष्टिकोण और क्लस्टर नेटवर्किंग
9. परियोजना की तैयारी और लागत विश्लेषण
10. कयर उद्योग में शून्य अपशिष्ट की अवधारणा
11. निर्यात व्यापार विश्लेषण
12. व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास निर्माण अनुभव
13. कयर बोर्ड और एम एस एम ई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं पर अवगाह

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड ने क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 23 ईडीपी का आयोजन किया।

संगोष्ठी और कार्यशाला

बोर्ड ने कयर एवं कयर उद्योग से संबंधित विषयों पर 6 राष्ट्रीय/क्षेत्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया और पीएमई जीपी, स्फूर्ति (SFURTI) आदि सहित कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड ने कयर उद्यमियों के लिए बोर्ड द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न राज्यों में 6 कार्यशालाएं आयोजित कीं।

एक्सपोज़र दौरा और जागरूकता कार्यक्रम

कयर प्रसंस्करण केंद्रों के संभावी उद्यमियों और कारीगरों के लिए एक्सपोज़र टूर आयोजित किए जाते हैं ताकि वे अन्य कयर इकाइयों और कयर उत्पादक केंद्रों का दौरा करके वहां की इकाइयों की कार्यप्रणाली के बारे में जान सकें और कयर और कयर उत्पादों के उत्पादन के विभिन्न तरीकों को समझ सकें। वर्ष 2022-23 के दौरान आम लोगों के लिए 4 एक्सपोज़र दौरा और 27 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम देश में उपलब्ध नारियल की भूसी के इष्टतम उपयोग के लिए कयर आधारित इकाइयों की स्थापना के लिए संभावी उद्यमियों के बीच जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम

बोर्ड ने योजना के तहत निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों और दो क्षेत्रीय कार्यालयों से जुड़े प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से दो नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो कि कयर प्रौद्योगिकी में कयर कारीगर का सर्टिफिकेट कोर्स (छह महीने की अवधि) और कयर प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा कोर्स (एक वर्ष की अवधि) आयोजित किए हैं।

1. राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण एवं डिज़ाइन केंद्र, कलावूर, केरल
2. क्षेत्रीय विस्तार केंद्र (आर ई सी), तंजावूर, तमिल

नाडु

3. क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर
4. क्षेत्रीय कार्यालय,राजमुंदरी

बोर्ड के दोनों नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत संरेखित किया गया था, अर्थात, एनएसक्यूएफ स्तर-3 पर कयर प्रौद्योगिकी में कयर कारीगर का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम और एनएसक्यूएफ स्तर-4 पर कयर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रौद्योगिकी में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में 20 और डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 40 प्रशिक्षनार्थी हैं।

वर्ष 2019 तक, कयर प्रौद्योगिकी में एक साल का डिप्लोमा पाठ्यक्रम केवल एनसीटी और डीसी में आयोजित किया जाता था और कयर प्रौद्योगिकी में कयर कारीगर का छह महीने का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम एनसीटी और डीसी के अलावा क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर और क्षेत्रीय विस्तार केंद्र, तंजावुर में आयोजित किया जाता था।हालाँकि, देश भर में कयर क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने पर मुख्य ध्यान देने के साथ, बोर्ड ने एनएसक्यूएफ से जुड़े दोनों नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जैसे कयर प्रौद्योगिकी में कयर कारीगर का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम और कयर प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, के संचालन के लिए एनसीटी और डीसी के अलावा तीन प्रशिक्षण केंद्र अर्थात् क्षेत्रीय विस्तार केंद्र तंजावुर, क्षेत्रीय कार्यालय - राजमुंदरी और क्षेत्रीय कार्यालय -भुवनेश्वर को मंजूरी दे दी और बाद में, वर्ष 2019 से, बोर्ड के उक्त तीन प्रशिक्षण केंद्रों ने क्षेत्र स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया था। उपरोक्त दो एनएसक्यूएफ संरेखित नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षणों के अलावा, हितधारकों/कारीगरों की आवश्यकता के आधार पर बोर्ड के प्रशिक्षण संस्थानों, प्रशिक्षण केंद्रों और स्फूर्ति क्लस्टरों में छोटी अवधि के ओरिएंटेशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा आयोजित नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से कुल 129 प्रशिक्षुओं को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया है।वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एनसीटी और डीसी-कलवूर, क्षेत्रीय विस्तार केंद्र-तंजावुर, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर और क्षेत्रीय कार्यालय, राजमुंदरी के माध्यम से विभिन्न कयर-प्रसंस्करण गतिविधियों पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र. सं.	प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	नियमित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की सं.
1.	एनसीटी और डीसी-कलवूर	एनएसक्यूएफ स्तर-3	30
		एनएसक्यूएफ स्तर-4	24
2.	क्षेत्रीय विस्तार केंद्र-तंजावुर	एनएसक्यूएफ स्तर-3	10
		एनएसक्यूएफ स्तर-4	8
3.	क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	एनएसक्यूएफ स्तर-3	27
		एनएसक्यूएफ स्तर-4	22
4.	क्षेत्रीय कार्यालय, राजमुंदरी	एनएसक्यूएफ स्तर-3	5
		एनएसक्यूएफ स्तर-4	3

अध्याय - XI

उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में कयर उद्योग का विकास

उत्तर पूर्व क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। आर्थिक विकास की उत्कृष्ट क्षमता होने के बावजूद भी यह क्षेत्र विभिन्न कारणों से अविकसित रह गया है। देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ इस क्षेत्र में और अधिक विकास लाने के लिए, भारत सरकार विभिन्न गतिविधियाँ चला रही हैं। इन गतिविधियों के हिस्से के रूप में, कयर बोर्ड कयर क्षेत्र में अधिक उद्यमियों को आकर्षित करने और वहां के कारीगरों के कौशल विकास के लिए, उन्हें नई प्रौद्योगिकियों और उत्पादन में गुणवत्ता के बारे में जागरूक करने के लिए एनईआर में विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम लागू कर रहा है।बोर्ड इस क्षेत्र में कयर और कयर उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दे रहा है। बोर्ड ने वर्ष 2022-23 के दौरान दिनांक 31.03.2023 तक गुवाहाटी में अपने उप क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए हैं-

क्रम सं.	कार्यक्रमों	उपलब्धियां	
		भौतिक (नं.में)	वित्तीय (लाख रुपये में))
1.	मूल्य वर्धित कयर उत्पाद (वीएपी) के निर्माण में प्रशिक्षण	140	11.62
2.	महिला कयर योजना (एमसीवाई) के तहत कताई में प्रशिक्षण	140	11.62
3.	ईडीपी	2	2
4.	जागरूकता कार्यक्रम	3	0.89
5.	कार्यशाला	1	0.49
	कुल वित्तीय		**26.62**

अध्याय - XII

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

कयर बोर्ड वर्ष 2018-19 से, कयर क्षेत्र में पीएमईजीपी योजना के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय की ओर से एक एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका उद्देश्य कयर उद्योग/इकाइयों की स्थापना करने के इच्छुकों को सहायता प्रदान करना है और कयर उद्योग में स्व-रोजगार को बढ़ावा देना है।

इस योजना का लक्ष्य नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना का उद्देश्य व्यापक रूप से फैले पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और उन्हें अपने स्थानों पर यथासंभव स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। विनिर्माण क्षेत्र में 50.00 लाख रुपए और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 20.00 लाख रुपए तक की अधिकतम लागत वाली कयर परियोजनाएं योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं। यह योजना सामान्य श्रेणियों को ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% और विशेष श्रेणियों को ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% की दर से सब्सिडी प्रदान करती है जिसमेंएससी/एसटी/ ओबीसी/अल्पसंख्यक/महिलाएं/शारीरिक रूप से विकलांग/पूर्व सैनिक, एनईआर, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रशामिल हैं। लाभार्थी का योगदान सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत का 10% और विशेष श्रेणी के लिए 5% होगा। कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंक द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। पीएमईजीपी के तहत सहायता प्राप्त कयर इकाइयों के संबंध में मार्जिन मनी (सब्सिडी) केवीआईसी द्वारा वित्तपोषण बैंकों की शाखाओं को जारी की जा रही है और बैंक सामान्य श्रेणी के लाभार्थी/संस्थान के मामले में परियोजना लागत का 90% और 95% मंजूरी देगा। लाभार्थी/संस्था की विशेष श्रेणी के मामले में, और परियोजना लागत के लिए उपयुक्त पूरी राशि का वितरण (जिसमें भारत सरकार की सब्सिडी और बैंक ऋण शामिल है)।

बोर्ड ने बोर्ड के सभी फील्ड कार्यालयों को इच्छुक उद्यमियों से अधिकतम संख्या में आवेदन एकत्र करने और संबंधित राज्यों में डीआईसी, सहकारी समितियों, एसएचजी आदि के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया था।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कयर बोर्ड ने पीएमईजीपी ई-पोर्टल के माध्यम से 456 आवेदन प्राप्त किए। इनमें से 361 आवेदनों को बैंकों को स्कीम के तहत ऋण स्वीकृति के लिए फॉरवर्ड किया गया। इनमें से बैंकों ने केवल 150 कयर परियोजनाओं के लिए ऋणों की स्वीकृति दी, और इसके बाद केवीआईसी ने 97 कयर परियोजनाओं को 416.74 लाख रुपये की मार्जिन मनी जारी की। पीएमईजीपी के लिए नोडल एजेंसी केवीआईसी द्वारा संबंधित अग्रणी बैंकों के माध्यम से सब्सिडी/मार्जिन मनी जारी कर दी गई है।पीएमईजीपी ई-पोर्टल से प्राप्त विवरण जिसमें राज्य-वार स्थापित कयर इकाइयों की मात्रा और केवीआईसी द्वारा जारी मार्जिन मनी शामिल है, इस प्रकार हैं:

राज्य	2022-23	
	इकाई	रकम लाखों में
केरल	28	56.22
आंध्र प्रदेश	40	207.71
तमिलनाडु	12	94.33
ओडिशा	3	6.99
महाराष्ट्र	2	11.78
त्रिपुरा	0	0
गुजरात	1	8.68
गोवा	1	8.75
तेलंगाना	2	11.53
कर्नाटक	1	3.5
पश्चिम बंगाल	6	2.46
बिहार	1	4.79
कुल	**97**	**416.74**

पीएमईजीपी ई-पोर्टल से प्राप्त विवरण, जिसमें राज्यवार मात्रा शामिल है
केवीआईसी द्वारा स्थापित कयर इकाइयां और जारी मार्जिन मनी इस प्रकार हैं

राज्य	2022-23	
	इकाई	रकम लाखों में
केरल	28	56.22
आंध्र प्रदेश	40	207.71
तमिलनाडु	12	94.33
ओडिशा	3	6.99
महाराष्ट्र	2	11.78
त्रिपुरा	0	0
गुजरात	1	8.68
गोवा	1	8.75
तेलंगाना	2	11.53
कर्नाटक	1	3.5
पश्चिम बंगाल	6	2.46
बिहार	1	4.79
कुल	**97**	**416.74**

अध्याय - XIII

स्वच्छ भारत अभियान

कयर बोर्ड ने केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान में महत्वपूर्ण योगदान देकर भाग लिया। बोर्ड ने वर्ष 2022-23 के लिए अनुमोदित कई कार्य बिंदुओं वाली अपनी कार्य योजना लागू की।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड ने व्यास विद्या निकेतन, पेरुंबावूर, जो सीबीएसई के अंतर्गत कार्यरत एक शैक्षणिक संस्थान, जहां 300 से अधिक छात्र पढ़ते हैं,में शौचालय परिसर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी है। इन गतिविधियों के अलावा बोर्ड ने अपने प्रतिष्ठानों में सफाई गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया है। कुछ तस्वीरें नीचे दी गई हैं:-

इसके अलावा, बोर्ड ने 02 से 31 अक्टूबर, 2022 तक एक विशेष अभियान 2.0 सफाई अभियान मनाया था। अभियान का मुख्य उद्देश्य सुशासन के लिए सरकारी कार्यालयों में कुछ श्रेणियों पर लंबित मामलों का निपटान सुनिश्चित करना है।

विशेष अभियान 2.0 दो चरणों में चलाया जा रहा है। प्रारंभिक चरण 14.09.2022-30.09.2022 तक और कार्यान्वयन चरण 02.10.2022-31.10.2022 तक अभियान के तहत लक्षित क्षेत्र वीआईपी संदर्भ, अभिलेख प्रबंधन, अंतरिक्ष प्रबंधन, स्क्रैप का निपटान और स्वच्छता अभियान आदि हैं।

यह अभियान एमएसएमई मंत्रालय के तहत कयर बोर्ड के सभी संगठनों में चलाया गया और दैनिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में मंत्रालय को भेजी गई। इसके अलावा, सीसीआरआई कॉम्प्लेक्स को मीडिया प्लान साइट के रूप में पहचाना गया है। बोर्ड कार्यालयों को महिला एसएचजी के नेतृत्व में ***3 आर' स कियोस्क*** (कम करें, पुन: उपयोग,पुनः चक्रण) स्थापित करने के लिए परिसर के रूप में भी पहचाना गया है ताकि पुन: उपयोग के लिए आगे की कार्रवाई के लिए कार्यालयों से कचरे को अलग किया जा सके, जैसे कि सेंट्रल कयर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कयर प्रौद्योगिकी, क्षेत्रीय विस्तार केंद्र, तंजावुर, राजमुंदरी और भुवनेश्वर में क्षेत्रीय कार्यालय उपरोक्त पर आगे की कार्रवाई के लिए मामले को मंत्रालय

को सूचित किया गया था।

माननीय अध्यक्ष कयर बोर्ड श्री डी.कुप्पुरामू दुरईपांडी ने बोर्ड मुख्यालय के साथ-साथ केरल के कलवूर में केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान परिसर में आयोजित कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया है। बोर्ड द्वारा तैयार की गई गतिविधियों को दर्शाने वाला एक लघु वीडियो लिंक के माध्यम से सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया गया था: https://youtu.be/QlpdH-HJOnQ.

मंत्रालय को भेजी जाने वाली दैनिक रिपोर्टों के अलावा विशेष अभियान पर दैनिक गतिविधियों का उद्धरण सोशल मीडिया और बोर्ड की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था।

अध्याय - XIV

परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (स्फूर्ति)

परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (स्फूर्ति) भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय की एक योजना है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों को अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाना और कारीगरों और उत्पादकों को निरंतर रोजगार प्रदान करके उनके सतत विकास को सुविधाजनक बनाना है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय और उसके संगठनों और संस्थानों द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में भारत सरकार परियोजना की कुल लागत के 90% तक की सहायता प्रदान कर रही है (जिसमें 10% लाभार्थीका योगदान होता है), जो कयर जैसे क्षेत्रों में फायदेमंद होगा, जहां हिस्सेदारों की वित्तीय क्षमता बहुत कम होती है। कयर क्षेत्र में योजना के कार्यान्वयन के लिए कयर बोर्ड नोडल एजेंसी है। यह योजना बोर्ड द्वारा प्रत्येक क्लस्टर के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना, क्षमता निर्माण के उपाय, उत्पाद विकास और डिजाइन हस्तक्षेप केंद्र और चयनित कयर समूहों में आउटलेट की स्थापना सहित बाजार संवर्धन सहायता की परिकल्पना की गई है।

योजना का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी, बाजार संचालित, उत्पादक, लाभदायक और परंपरागत उद्योग के कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए स्थायी रोजगार प्रदान करने में सक्षम बनाना है। यह योजना तीन प्रकार के हस्तक्षेपों को कवर करेगी, अर्थात् कठिन हस्तक्षेप', 'नरम हस्तक्षेप' और 'विषयगत हस्तक्षेप'। परियोजना की लागत में क्रमशः हार्ड इंटरवेंशन, सॉफ्ट इंटरवेंशन, टीए और आईए लागत (सीडीई पारिश्रमिक सहित) शामिल होगी।

कठिन हस्तक्षेपों में निम्नलिखित सुविधाओं का निर्माण शामिल होगा

- सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) और वर्कशेड का निर्माण
- कच्चा माल बैंक (आरएमबीएस), मशीनरी की खरीद
- उत्पादन अवसंरचना का उन्नयन
- उपकरण और तकनीकी उन्नयन, टूल-किट वितरण, आदि।
- भण्डारण सुविधा
- प्रशिक्षण केंद्र
- मूल्यवर्धन एवं प्रसंस्करण केंद्र

परियोजना के तहत नरम हस्तक्षेप में ऐसी गतिविधियाँ शामिल होंगी

- सामान्य जागरूकता, परामर्श, प्रेरणा और विश्वास निर्माण
- कौशल विकास एवं क्षमता विकास
- एक्सपोज़र विजिट
- बाज़ार संवर्धन पहल
- डिज़ाइन और उत्पाद विकास
- प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि पर सेमिनारों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी।

परियोजना के तहत विषयगत हस्तक्षेप में ऐसी गतिविधियाँ शामिल होंगी

- ब्रांड निर्माण और प्रचार अभियान;
- न्यू मीडिया मार्केटिंग;
- ई-कॉमर्स पहल;
- नवाचार;
- अनुसंधान एवं विकास पहल और तकनीकी उन्नयन
- प्रदर्शन के आधार पर समान समूह के समूह|
- मौजूदा और प्रस्तावित क्लस्टरों में संस्थागत संबंध विकसित करना

संशोधित स्फूर्ति योजना वित्त वर्ष 2014-15 से लागू की गई थी। योजना के परिचालन दिशा निर्देश सितंबर 2022 के दौरान संशोधित किए गए, जो कयर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और मंत्रालय के स्फूर्ति वेब पोर्टल http://sfurti.msme.gov.in पर उपलब्ध हैं। नए मार्गनिर्देश के अनुसार, योजना के तहत क्लस्टर स्थापित करने के प्रस्ताव स्फूर्ति वेब पोर्टल के माध्यम से किसी भी नोडल एजेंसी को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। स्फूर्ति योजना के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने में रुचि रखने वाली किसी भी कार्यान्वयन एजेंसी को पहले एक अवधारणा नोट अपलोड करना होगा और आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ स्फूर्ति पोर्टल में स्कोर कार्ड भरना होगा।आईए द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की पुष्टि के बाद, अगर आवेदक द्वारा प्राथमिक मानक 60 प्राप्त किया जाता है तो एमएसएमई-डीएफओ द्वारा शिल्पकार के प्रमाणीकरण के अधीन, तकनीकी एजेंसी पैनल द्वारा तैयार किया जाने वाला प्रस्ताव प्रधान एजेंसी की परियोजना अनुच्छेदन समिति (पीएससी) की सार्थक सिफारिश के साथ मंत्रालय को अग्रेषित किया जाएगा।

यह योजना एकीकृत मूल्य श्रृंखला और क्लस्टर की व्यवहार्यता और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए एक मजबूत बाजार संचालित दृष्टिकोण के साथ बहु-उत्पाद क्लस्टर स्थापित करने पर केंद्रित है। किसी विशिष्ट परियोजना के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता अधिकतम 5 (पांच) करोड़ रुपये के अधीन होगी। प्रति क्लस्टर बजट सीमा इस प्रकार है:

प्रमुख समूह (500 से अधिक कारीगर)	5 करोड़
रुपए नियमित क्लस्टर (500 कारीगरों तक)	2.5 करोड़ रुपए

एमएसएमई मंत्रालय ने अब तक 141.14 करोड़ रुपये के कुल बजटीय आवंटन के साथ परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (स्फूर्ति) के तहत 40 कयर

भारत सरकार का अनुदान 117.05 करोड़ रुपये है। 40 कयर समूहों में से 14 तमिलनाडु में, केरल में 4, कर्नाटक में 8, ओडिशा में 5, आंध्र प्रदेश में 3, 2-2 गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है और1-1 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। आज तक, एमएसएमई मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान 40 स्फूर्तिकयर समूहों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के अनुदान के रूप में 116.86 करोड़ रुपए जारी किए हैं।116.86 करोड़ के कुल रिलीज में से, कयर बोर्ड ने अब तक 31 मार्च 2023 तक, समूहों के कार्यान्वयन के लिए प्रायोगिकीकृत उपयोग के आधार पर संचालन एजेंसियों / तकनीकी एजेंसियों को 112.12 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जैसे कि सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना, मशीनरी की खरीद, मार्केटिंग पहलों, जागरूकता कार्यक्रम आदि, और आईए / एसपीवी लागत संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और खातों के विवरण के प्रगतिशील उपयोग और प्रतिपादन के आधार पर बोर्ड द्वारा बाद की रिलीज पर विचार किया जा रहा है।

सभी कयर समूहों में स्फूर्ति गतिविधियों का कार्यान्वयन प्रगति पर है। मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कुल 40 कयर क्लस्टरों में से 28 कार्यात्मक हैं और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है। इसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अनुबंध-VII के रूप में संलग्न है।

समूहों ने कयर उत्पादों जैसे कयर नीडल फेल्ट, गार्डन आर्टिकल्स, कयर यार्न, कयर जियो-टेक्सटाइल्स और मैटिंग्स, कयर पिथ ब्लॉक, पिथ कम्पोस्ट आदि का निर्यात और व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

स्फूर्ति के अंतर्गत प्रमुख घटनाएँ/उपलब्धियाँ

- वर्ष 2022-23 के दौरान जवागल (कर्नाटक), पक्कम (तमिलनाडु), कृष्णगिरी (तमिलनाडु), तारापुर (गुजरात) और रघुनाथ (ओडिशा) में 5 कयर क्लस्टरों को क्रियाशील बनाया गया।
- एक योजना के तहत नए कयर समूह स्थापित करने के लिए मंत्रालय वेब पोर्टल पर कुल 23 अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। 23 प्रस्तावों में से, 2 प्रस्ताव, अर्थात् पश्चिम बंगाल के हासनाबाद और केरल के मलाबार कयर और नारियल के प्रस्ताव, पात्र माने गए और उनके पूर्व तकनीकी एजेंसियों को डीपीआर तैयार करने के लिए लगाया गया है। देश के विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आकांक्षी/आदिवासी जिलों में कयर क्लस्टर विकसित करने पर अधिक जोर दिया गया, जहां लोगों की आजीविका बहुत कम है।
- रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान, मंत्रालय ने पीएफएमएस के माध्यम से सेंट्रल नोडल अकाउंट (सीएनए) को लागू करके सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में फंड प्रवाह को संशोधित करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय के निर्देश के अनुरूप, कयर बोर्ड द्वारा स्फूर्ति कार्यान्वयन के लिए सीएनए प्रणाली खोलने और संचालित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

स्फूर्ति कयर क्लस्टर के सामान्य सुविधा केंद्र: 2022-23 के दौरान पूर्ण और कार्यात्मक

गुजरात

तारापुर कयर क्लस्टर -

तमिलनाडु

कृष्णगिरी कयर क्लस्टर

पक्कम कयर क्लस्टर

कर्नाटक

जवागल कयर क्लस्टर

ओडिशा

रघुनाथ कयर क्लस्टर

अध्याय - XV

दिव्यांग व्यक्ति

(समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

अधिनियम का कार्यान्वयन

बोर्ड ने दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को दुगना परिवहन भत्ता, आकस्मिक अवकाश आदि जैसे सभी स्वीकार्य लाभ देना जारी रखा है| इसके अलावा, बोर्ड दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को नियुक्ति/पदोन्नति में, जहां भी लागू हो, स्वीकार आरक्षण प्रदान करने पर उचित ध्यान दे रहा है|
बोर्ड ने 34 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया के रूप में कंप्यूटर आधारित टेस्ट आयोजित किया है, जिसमें से अधिकांश रिक्तियां एससी/एसटी, पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों के लिए आरक्षित की गई हैं।

बोर्ड द्वारा दिव्यांग-जनों (पीडब्ल्यूडी) की आरक्षण नीति की निगरानी हेतु दिव्यांग-जनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आंतरिक दिव्यांग सेल का पुनर्गठन किया गया है, श्रीमती अनिता जैकब, आंचलिक निदेशक ग्रेड। की सेवानिवृत्ति के उपरांत उनके स्थान पर श्री जॉर्ज अब्राहम, विकास अधिकारी को आंतरिक दिव्यांग सेल के लिए (पीडब्ल्यूडी) के रोस्टर बिन्दु के सत्यापन हेतु अध्यक्ष एवं संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है|

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत, केंद्रीय क्षेत्र योजना 2018-19 की अवधि के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों को कयर क्षेत्र में कयर बोर्ड द्वारा लागू की गई विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है। वे योजना के तहत नई कयर इकाइयां स्थापित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% की दर से सब्सिडी पाने के पात्र हैं। लाभार्थी का योगदान परियोजना लागत का 5% होगा। कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंक द्वारा सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी। योजना के तहत कयर इकाई की स्थापना के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 50.00 लाख रुपए और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के लिए 20.00 लाख रुपए है।

अध्याय - XVI

महिला सशक्तिकरण

कयर बोर्ड भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप महिला कर्मचारियों के लिए स्वस्थ और अनुकूल कामकाजी माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से कई सक्रिय कदम उठाए गए हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन गठित समिति के सेवानिवृत सदस्य के स्थान पर नए सदस्य को नियुक्त करके बोर्ड द्वारा स्थापित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का पुनर्गठन किया गया और कार्य जारी रखा।

कयर बोर्ड ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) के प्रावधानों पर अधिकारियों के लिए संवेदीकरण और जागरूकता पर एक वेबिनार का आयोजन किया है और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव के उन्मूलन पर जागरूकता पैदा की है ताकि महिलाओं की सलामती, सुरक्षा और समग्र सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके और यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं और लड़कियों के बुनियादी मानवाधिकारों का सभी द्वारा सम्मान किया जाए।यह कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए 25 नवंबर के विश्वव्यापी पालन के भाग के रूप में ई-प्लेटफॉर्म पर 08-12-2022 को आयोजित किया गया था। महाराजास कॉलेज, एर्नाकुलम के पूर्व प्राचार्य और कनाडा के विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा-भारत संस्थागत सहयोग परियोजना द्वारा आयोजित मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संकाय टीम का सदस्य डॉ. मैरी मटिल्डा द्वारा इस विषय पर एक वार्ता प्रस्तुत की गई थी। कयर बोर्ड के मुख्यालय और उप कार्यालयों और शोरूम सहित क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों में से कुल 128 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। डॉ. मैरी मटिल्डा ने इस विषय को एक शानदार तरीके से संबोधित किया और उपस्थित लोगों द्वारा जीवंत बातचीत की और उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश-POSH अधिनियम) के प्रावधानों का प्रभावशाली विवरण दिया।

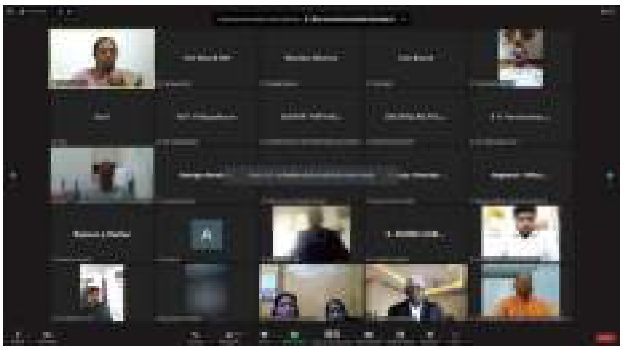

अध्याय - XVII

शिकायत निवारण तंत्र

चैंपियंस पोर्टल :

एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है।

- वित्त, कच्चे माल, श्रम, नियामक अनुमति आदि से संबंधित एमएसएमई की समस्याओं का समाधान करना।
- एमएसएमई को पीपीई, मास्क जैसे चिकित्सा उपकरण और सहायक उपकरण के निर्माण सहित नए अवसरों का लाभ उठाने में मदद करना और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आपूर्तित करना।
- क्षमता वाले एमएसएमई की पहचान करना और उन्हें प्रोत्साहन करना जो वर्तमान स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बन सकते हैं।

तदनुसार, एमएसएमई मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, कयर बोर्ड में चैंपियंस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और आवश्यक सुविधाओं के साथ दिनांक 05.05.2020 से काम शुरू कर दिया है।

सीपीग्राम: (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली)

जनता की शिकायतों के निवारण के लिए, भारत सरकार ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पोर्टल की स्थापना की है| पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कयर बोर्ड और कयर उद्योग से संबंधित शिकायतों पर कयर बोर्ड द्वारा तुरंत कारवाई की जाती है| शिकायतें http://pgportal.gov.in/CPGOFFICE/ के माध्यम से की जा सकती हैं| श्री. एम. कृष्णा, संयुक्त निदेशक (पीएलजी) नोडल अधिकारी हैं और श्री वी.डी. दिनेसन, चैंपियंस और सीपीग्राम के कार्यालय प्रभारी हैं, जिनका संपर्क विवरण नीचे दिया गया है|

दूरभाष : 0484 2373327, 2372979
मोबाइल : 9945426981 (श्री एम. कृष्णा)
मोबाइल : 9495715606 (श्री वी.डी. दिनेसन)
ईमेल : jdp@coirboard.org/champions@coirboard.org

अध्याय - XVIII

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए वर्ष 2005 के दौरान अभिनीत भारत की संसद का एक अधिनियम है और पूर्ववर्तीसूचना की स्वतंत्रता सूचना अधिनियम, 2002 को प्रतिस्थापित करता है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत, भारत के किसी भी नागरिक एक सार्वजनिक प्राधिकरण (सरकार का एक निकाय या राज्य के साधन)से जानकारी का अनुरोध कर सकता है जो कि शीघ्रता से या तीस दिनों के भीतर उत्तर देना आवश्यक है। इस अधिनियम के लिए प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को व्यापक प्रसार के लिए अपने रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने की आवश्यकता है और जानकारी की कुछ निश्चित श्रेणियों को खुलासा करना भी आवश्यक है ताकि लोग औपचारिक रूप से जानकारी के अनुरोध के लिए न्यूनतम सहारा ली जा सके। यह कानून 15 जून 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह से लागू हुआ था।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन जारी रखा। बोर्ड द्वारा अग्रसक्रिय प्रकटीकरण योजना और भारत सरकार द्वारा जारी अन्य मार्गनिर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है।सूचना का अधिकार, 2005 कि धारा 4 (1) (बी) (i) से (xii) तक के अनुसार अपेक्षित मदों को प्रकाशित करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट http://coirboard.in में दिया गया है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत कयर बोर्ड में प्राप्त सभी आवेदनों/अपीलों का निपटान सीपीआईओ और दो सीएपीआईओ द्वारा केंद्रीकृत अनुवीक्षण किया जाता है।

कयर बोर्ड,मुख्यालयमें, श्रीमती वासंती अम्मा एम.के., उप निदेशक को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया था और श्री रघुनंदनन वी.सी., वरिष्ठ लेखा अधिकारी को अपीलों पर विचार करने और उन पर उचित आदेश पारित करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया था। सभी उप कार्यालयों के प्रमुखों को संबंधित कार्यालयों में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामित किया गया था। यह व्यवस्था नागरिकों को जानकारी प्रदान करती रही।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, आरटीआई अधिनियम के तहत कुल 59 आवेदन प्राप्त हुए थे। निर्धारित समय के भीतर, सभी आवेदनों के उत्तर दिए गए थे।

आरटीआई से संबंधित तिमाही रिपोर्ट केन्द्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के पोर्टल www.cic.gov.in में अपलोड की गई हैं।

परिशिष्ट -I

कयर बोर्ड की संस्थाएँ

1. मुख्यालय
कयर हाउस, कयर बोर्ड ,
एम जी रोड कोच्ची, केरल, पिन- 682 016
दूरभाष: 0484-2351900
फैक्स-0484-2370034
ईमेल: info@coirboard.org

2. केन्द्रीय कयर अनुसंधान संस्थान,
(सी. सी. आर आई), कयर बोर्ड, कलवूर पी. ओ,
आलप्पुषा, केरल, पिन- 688 522
दूरभाष: 0477-2258094, 0477-2258480,
0477-2258933, फैक्स: 0477-2258415
ईमेल: ccri.coirboard@gmail.com

3. केन्द्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान,
(सीआईसीटी), कयर बोर्ड,
नं.3 ए पीनिया औद्योगिकी क्षेत्र,
टी वी एस क्रास के सामने, बेंगलुरु, कर्नाटक,
पिन- 560 058, दूरभाष: 080-28394875
ईमेल: cictcoirboard@gmail.com

4. राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण एवं डिज़ाइनकेंद्र,
(एन सी टी व डी सी), कयर बोर्ड,
कलवूर पी.ओ, आलप्पुषा,
केरल, पिन- 688 522
दूरभाष: 0477-2258067.
ईमेल: adnctdc@gmail.com

5. हिंदुस्तान कयर, कयर बोर्ड ,
कलवूर पी.ओ, आल्प्पुषा,
केरल, पिन - 688522
दूरभाष: 0477-2258339.
फैक्स: 0477- 2258267
ईमेल: hindcoir@gmail.com

6. प्रादेशिक विस्तार केंद्र
कयर बोर्ड, पिल्लयारपट्टी,
वल्लम मार्ग से तंजाऊर,
तमिलनाडु, पिन- 613403.
दूरभाष: 04362-264655
ईमेल: cbrectnjcoirboard@gmail.com

7. प्रादेशिक कार्यालय, कयर बोर्ड,
कयर बोर्ड कॉम्प्लेक्स,
कलवूर पी.ओ, आलप्पुषा, केरल, पिन- 688 522
दूरभाष: 0477-2258801
फैक्स:0477-2258806
ईमेल: coirmarkscheme@yahoo.com

8. प्रादेशिक कार्यालय, कयर बोर्ड,
स्वराज नगर, ए.सी.गार्डन्स,
डौलेवरम एम रोड, राजमुंद्री,
आंध्र प्रदेश, पिन- 533 101
दूरभाष: 0883-2420196
ईमेल: coirboardrorjy@yahoo.co.in

9. प्रादेशिक कार्यालय, कयर बोर्ड,
पीनिया औद्योगिक क्षेत्र,
पीनिया, बेंगलूर,
कर्नाटक, पिन- 560 058
दूरभाष: 080 28375023
ईमेल: cbrobangalore@gmail.com

10. प्रादेशिक कार्यालय, कयर बोर्ड,
नं.41, नेहरु स्ट्रीट,महालिंगापुरम,
राउंडाना के पास ,पानी की टंकी के समीप,
पोल्लाची, कोयम्बतूर, तमिलनाडु, पिन- 642 002
दूरभाष: 04259-222450
ईमेल: coirpollachi2@gmail.com

11. प्रादेशिक कार्यालय, कयर बोर्ड,
जगमरा(उद्योगपुरी), पी.ओ. खांडागिरि,
भुवनेश्वर, ओडिशा,
पिन-751030
दूरभाष: 0674 – 2350078
ईमेल: robbsrcoirboard@gmail.com

12. प्रादेशिक कार्यालय, कयर बोर्ड,
प्रहार बिल्डिंग (जीएफ),
कंकावली, सिंधुदुर्ग,
महाराष्ट्र – 416 602
ईमेल : cbro.sindhudurg@gmail.com

प्रादेशिक कार्यालय, कयर बोर्ड,
प्रहार बिल्डिंग (जीएफ),
कंकावली, सिंधुदुर्ग,
महाराष्ट्र – 416 602
ईमेल : cbro.sindhudurg@gmail.com

कयर बोर्ड विस्तार केंद्र,
हाऊस नं.207, जिला समाहरणालय भवन,
ओरोस, सिंधुदुर्ग,
महाराष्ट्र – 416 812
दूरभाष: 02362 -228092
ईमेल: cbec.sindhudurg@gmail.com

13. प्रादेशिक कार्यालय, कयर बोर्ड,
नए सचिवालय बिल्डिंग,सी ब्लॉक,
ग्राउंड फ्लोर1, किरण शंकर रॉय रोड,कोलकत्ता,
पश्चिम बंगाल , पिन- 700 001
दूरभाष:-033-22625735
ईमेल: cbsrokol@gmail.com

14. उप प्रादेशिक कार्यालय, कयर बोर्ड,
माधव अपार्टमेंट, तेज़ूक्किलपीडिका,
मेलेचोव्वा,कन्नूर, केरल, पिन-670 006
दूरभाष: 0497-2726360
ईमेल: cbsroknr@gmail.com

15. उप प्रादेशिक कार्यालय, कयर बोर्ड,
हाऊस नं.1, ग्राउंड फ्लोर,
रत्नगिरी पाथ, बामुनी मैदान, गुवाहाटी,
असम, पिन-781 021
दूरभाष: 0361-2556828
ईमेल: cbsroghty@gmail.com

16. उप प्रादेशिक कार्यालय, कयर बोर्ड,
एनेक्स इमारत, उद्योग परिसर,
विभागीय कार्यशाला के सामनेमध्य बिन्दु,
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार, पिन-744101
दूरभाष: 03192-230265
ईमेल: coirportblair@gmail.com

17. उप प्रादेशिक कार्यालय, कयर बोर्ड,
उद्योग निदेशालय कार्यालय,कवरत्ति,
यू.टी. लक्षद्वीप, पिन– 682 555
दूरभाष: 04896-262026
ईमेल: srokavaratti@gmail.com

18. उप प्रादेशिक कार्यालय, कयर बोर्ड,
'ए' ब्लॉक, नी-एमएसएमई कैम्पस,
रहमत नगर रोड, युसुफगुडा,
हैदराबाद, तेलंगाना, पिन- 500 045,
दूरभाष: 040-23552309
ईमेल-coirboardsrohyd@gmail.com

शोरूम एवं बिक्री केंद्र

1. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
चौथी लाईन, 6-4-86,
प्रथम क्रोस अरुन्देलपेट,गुंटूर,
आंध्रप्रदेश,पिन-522 002
दूरभाष: 0863-2234586.
ईमेल: coirbhavangtr@gmail.com

2. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
दुकान नं.4,5,8&9,
उद्योग भवन, सिरीपुरम,
ए. पी. सी. ओ. के बगल में, विशाखापट्टनम,
आंध्र प्रदेश, पिन-530 003
दूरभाष: 0891-2525186.
ईमेल: coirshowvsp@yahoo.com

3. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
5-8-328/1, चैपल रोड,
हैदराबाद,आंध्र प्रदेश, पिन-500 001
दूरभाष: 0402-3202276
ईमेल: coirbhawanhyd@gmail.com

4. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
2जी,दिहंगआरकेड, भंगाहर,
पल्लबी मोटर्स के सामने, जी.एस. रोड,
गुवाहाटी, असम, पिन-781 005
दूरभाष: 0361-2464142
ईमेल: coirboardsrsd@gmail.com

5. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
इंदिरा बाईपास, आमडो गोलाई के पास,
पी. ओ. ताडोंग गैंगटॉक,
सिक्किम, पिन-737 102
दूरभाष: 03592-280690
ईमेल: coirboardgangtok@gmail.com

6. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
हाऊस नं.153 शिब नगर, कॉलेज रोड,
वार्ड नं.19, अगर्त्तला कॉलेज, पी.ओ.,
अगर्त्तला, त्रिपुरा, पिन- 799 004
दूरभाष नं.0381-2518017
ईमेल:cbsr_agartala@rediffmail.com

7. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
बिसकॉमन भवन वेस्ट लॉन,
पटना, बिहार, पिन- 800 001
दूरभाष: 0612-2219550
ईमेल: coirboardsrpat@gmail.com

8. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र ,
"प्राण विजय" टाइम्स ऑफ इंडिया के
पास,बाटा शोरूम के सामने,
आश्रम रोड, नवरंगपुरम,अहमदाबाद,
गुजरात, पिन-380 009, दूरभाष: 079-26580226
ईमेल:cbsr_ahmd@yahoo.com

9. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
एस. सी. ओ. - 84, सेक्टर38 – सी
चंडीगढ़, पिन-160 036
दूरभाष: 0172-2699736
ईमेल: coirbhavan@gmail.com

10. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
बी-25/4ए,हनुमानपुर, बेलपुरा वार्ड,
पी.ओ.- बेलपुरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश,
पिन-221 010, दूरभाष: 0190-5224055
ईमेल: cbsrvaranasi@gmail.com

11. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
कलगीधर गुरुद्वारा के सामने
रिहाडी चुंगी, जम्मुतवी,
जम्मु व कश्मीर, पिन-180 005
दूरभाष: 0191 -2583827
ईमेल:coirbhavan_jmu@rediffmail.com

12. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
केन्द्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्था कैंपस,
नं.3ए, पीनिया औद्योगिकी क्षेत्र, बेंगलुरु,
कर्नाटक, पिन-560 058
दूरभाष: 080-28397216
ईमेल:coirboardbangalore@gmail.com

13. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
एम.जी.रोड, कोच्ची,
एरणाकुलम,केरल, पिन- 682 016
दूरभाष: 0484-2354277
ईमेल: cbekmsr@gmail.com

14. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
टी .सी. 81/2368,रामकृष्णा बिल्डिंग,
मनोरमा रोड,पूर्व तंपानूर,
तिरुवनंतपुरम,केरल, पिन-695 001
दूरभाष: 0471-2325315
ईमेल: coirbhavantvm123@gmail.com

15. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
पश्चिम पल्लित्तामम बिल्डिंग,
28/876/14, करुणाकरननंबियाररोड,
त्रिशूर, केरल, पिन- 680 020
दूरभाष: 0487-2331463
ईमेल:coirboardtcr@gmail.com

16. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
एन एस टॉवर, 14/280-1&2,
स्टेडियम स्टान्ड के पास , पलक्काड,
केरल, पिन-678 013
दूरभाष:-0491-2544377
ईमेल: cbsrpkd@gmail.com

17. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
प्लॉट नं.610, स्कीम नं.44,
खातीवाला टैंक, विकास रेखा कॉम्प्लेक्स
इंदौर, मध्यप्रदेश, पिन-452 014
दूरभाष:-0731- 2462106
ईमेल:coir.board@rediffmail.com

18. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
ग्राउंड फ्लोर, मरोल टेलीफोन एक्सचेंज,
एम.आइ.डी.सी., सेंट्रल रोड,
अंधेरी (ई) मुंबई, पिन -400093
दूरभाष:-022- 27814666
ईमेल: cbsrandheri@gmail.com

19. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
जागमारा(उद्योगपुरी), पी.ओ. खंडागिरी,
भुवनेश्वर, ओडिशा,
पिन-751030
दूरभाष-0674-2353114
ईमेल: cbsrbbsr@gmail.com

20. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
रवीन्द्र भवन,
ए.आई.आर.,एम.आई रोड के सामने.,
जयपुर, राजस्थान, पिन-302 001
दूरभाष: 0141-2365427
ईमेल: cbsrjp@gmail.com

21. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
वनविल को – ऑपटेक्स के सामने,
तेयनामपेट, 578, माउंट रोड,
अन्ना साले, चेन्नई, तमिलनाडु, पिन-600 018
दूरभाष: 044-24349123
ईमेल:coirbhavanchennai@gmail.com

22. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
डी.नं.96, साउथ मैरेट स्ट्रीट,
साउथ गेट, मदुरै,
तमिलनाडु, पिन-625 001
दूरभाष: 0452-2340505
ईमेल: cbsr_madurai@yahoo.co.in

23. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
35, शियो चरनलाल रोड, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश,पिन-211 001
दूरभाष: 0532-2564810
ईमेल: cbsrald@gmail.com

24. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
पंडित भवन, 6-बाल्मीकी मार्ग,
(नोवलटी सिनेमा के पीछे),
लालबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश,पिन-226 001
दूरभाष: 0522-2282448
ईमेल: cbsrlucknow@gmail.com

25. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
नं.111ए/403, 80 फिट रोड,
अशोक नगर,कानपुर, उत्तर प्रदेश,
पिन– 208 012
दूरभाष - 0512 2540173
ईमेल:coirboardsrk@gmail.com

26. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
नं. 61गाँधी रोड,
जैन धर्मशाला के पास, पी.ओ. मज़रा,
देहरादून, उत्तराखंड, पिन- 248 001
दूरभाष: 0135-2521245
ईमेल: coirboarddoon1961@gmail.com

27. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
22, डॉ. यू.एन. ब्रह्मचारी स्ट्रीट,
पार्क स्ट्रीट पी.ओ.,कोलकत्ता,
पश्चिम बंगाल, पिन-700 016
दूरभाष: 033-24605287
ईमेल: coirboardkol@gmail.com

28. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
राजीव गाँधी हैंडीक्राफ्टस भवन,
पहला तल, बाबा खड्गसिंग मार्ग,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, पिन-110 001,
दूरभाष: 011-23341388
ईमेल: pro-newdelhi@coirboard.org

29. कयर बोर्ड शोरूम व बिक्री केंद्र,
जी एफ 3/90, मानसरोवरबिल्डिंग,
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, पिन -110 019.
दूरभाष: 011-26431544
ईमेल: cbsrnpdel15@rediffmail.com